प्रेषक,

डा0 भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई अनुभाग–02 देहरादून : दिनांक 07 अक्टूबर ~~सितम्बर~~, 2019

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2019–20 में एस0सी0एस0पी0 नहर निर्माण (राज्य सैक्टर) मद के अन्तर्गत योजनाओं की प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति के सम्बंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–4394/प्र0अ0/सि0वि0/नि0अनु0/पी–27 (एस0सी0एस0पी0), दिनांक–15.11.2018, पत्र संख्या–5192/प्र0अ0/सि0वि0/नि0अनु0/पी–27 (एस0सी0एस0पी0), दिनांक 29.12.2018 एवं पत्र संख्या–1250/प्र0अ0/सि0वि0/नि0अनु0/पी–27 (एस0सी0एस0पी0), दिनांक 05.06.2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उल्लिखित पत्रों द्वारा एस0सी0एस0पी0–नहर निर्माण मद के अन्तर्गत उपलब्ध करायी गयी योजनाओं की विभागीय टीएसी द्वारा संस्तुत कुल धनराशि रू0 46.58 लाख की प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2019–20 में प्रथम किस्त के रूप में रू0 18.63 लाख (रू0 अट्ठारह लाख तिरसठ हजार मात्र) की धनराशि निम्न विवरणानुसार व्यय हेतु अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(i) सम्बन्धित धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत किया जायेगा, धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। जहां कही आवश्यक हो यथावश्यकता सक्षम अधिकारी/शासन की स्वीकृति व्यय से पूर्व प्राप्त कर ली जाय।

(ii) धनराशि का आहरण व व्यय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार चालू कार्यों में ही किस्तों में किया जायेगा। धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृत एवं कार्यो के प्राक्कलन सक्षम अधिकारी से अवश्य स्वीकृत करा लिये जाय।

(iii) उक्त व्यय में बजट मेनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, अधिप्राप्ति नियमावली, 2018 तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।

(iv) जहॉ आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वेज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय तथा कार्यों के सम्बन्ध में यथोचित भूकम्प निरोधी तकनीकी का प्रयोग किया जाय।

(v) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार उत्तराखण्ड राज्य सरकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

(vi) उक्तानुसार आवंटित धनराशि को तत्काल कार्यदायी संस्था/आहरण वितरण अधिकारी को अवमुक्त कर दी जाय, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।

क्रमश.......................02

(vii) कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(viii) विभागीय कार्य करने से पूर्व सिंचाई विभाग/लोक निर्माण विभाग की दरों पर आगणन गठित कर एवं तकनीकी अधिकारियों की संस्तुति के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ix) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–254/3(150)–2017/XXVII (1)/2019, दिनांक 29 मार्च, 2019 में दिये गए दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय और वांछित सूचनायें निर्धारित प्रपत्रों पर यथासमय शासन को उपलब्ध करा दी जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2020 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष वित्तीय वर्ष 2019–20 में अनुदान संख्या–30 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक **4700-मुख्य** सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–**06-** निर्माणाधीन सिंचाई नहरें **800-** अन्य व्यय–02 अन्य रखरखाव **व्यय-00-24** वृहत निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–253/XXVII(2)/2019, दिनांक 26 सितम्बर, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,

(डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

संख्या–1145(1)/ I(02)–2019–03(69)/2015 तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस सी–1/105, इन्दिरानगर, दे0दून ।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
3. निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/उत्तरकाशी।
5. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
6. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ओमकार सिंह)
संयुक्त सचिव।

शासनादेश संख्या – 1145 / I I(02)–2019–03(69) / 2015, दिनांक 07 अक्टूबर ~~सितम्बर~~, 2019 का संलग्नक

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र. स.	योजना का नाम	विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत लागत (लाख रू0)	वित्तीय वर्ष 2019–20 में अवमुक्त हेतु प्रस्तावित धनराशि।
01	जनपद देहरादून के अन्तर्गत विकासखण्ड चकराता में मसक टैंक नहर की मरम्मत की योजना।	8.78	3.51
02	जनपद देहरादून के अन्तर्गत विकासखण्ड चकराता में मताड नहर की मरम्मत की योजना।	9.90	3.96
03	जनपद देहरादून के अन्तर्गत विकासखण्ड चकराता में गुठाड–कान्डोई नहर के जीर्णोद्धार की योजना।	27.90	11.16
	कुल–	**46.58**	**18.63**

(रू0 अट्ठारह लाख तिरसठ हजार मात्र)

(ओमकार सिंह)
संयुक्त सचिव।